न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 09/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/17

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
अशोक कुमार पुत्र नेमाराम जाति नायक, निवासी रूंगड़ी, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान		1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार खिवाड़ा तहसील रानी जिला पाली राजस्थान 2. श्रीमान् तहसीलदार रानी, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमाराम मीणा
रेस्पोडेण्टगण की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31.03.2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाड़ा के राजस्व प्रकरण संख्या 27/2020 सरकार बनाम अशोक कुमार में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट ग्राम रूंगड़ी के खसरा नम्बर 40 रकबा 0.08 है. किस्म बारानी दोयम की भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से अपने परिवार सहित निवास करता है एवं उक्त आराजी में अपना रहवासीय धोरा लगाकर बाड़ा व पक्का मकान मय झोंपड़ी बनी हुई है। उक्त आराजी काबिल नियमन बहक अपीलाण्ट के थी। इसके बावजूद पटवारी हल्का सांवलता द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार खिवाड़ा के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार ने टाईपसुदा आदेशिका में प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 03.09.2020 को मातहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ। लेकिन अपीलाण्ट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिए बिना, जवाब पेश करने का अवसर दिए बिना ही उसी दिवस उसके खिलाफ जैर अपील आराजी से बेदखली के साथ 50/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त है। उप तहसीलदार खिवाड़ा ने प्रकरण किस दिनांक को दर्ज किया, इसका आदेशिका में अंकन नहीं है तथा आदेशिका में दिनांक में कांट–छांट की गई है, जो मातहत अदालत की पत्रावली से स्पष्ट है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश राजनेतिक प्रभाव में आकर पारित किया है। ग्राम रूंगड़ी के जैर अपील खसरा नम्बर 40 में अपीलाण्ट के अलावा अन्य व्यक्तियों के भी पक्के मकान निर्मित है व उन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन मातहत अदालत द्वारा मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध ही कार्यवाही की गई है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा दिनांक 03.09.2020 को आदेशिका में हस्ताक्षर करवाकर भेज दिया गया तथा निर्णय के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके पश्चात दिनांक 12.01.2021 को हल्का पटवारी से उसे जैर अपील आदेश के संबंध

अति. जिला कलेक्टर, पाली

में जानकारी हुई तो उसने जैर अपील आदेश की प्रति प्राप्त कर अपील न्यायालय में जरिये अधिवक्ता पेश की, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद फरमाया जाकर जैर अपील आदेश निरस्त फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया गया है, यह वह स्वयं स्वीकार करता है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी ने टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पंत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर, अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। पटवारी हल्का सांवलता ने अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रूंगड़ी के खसरा नम्बर 40 रकबा 0.08 है. किस्म बा.दो. पर अपीलाण्ट द्वारा धोरा लगाकर वाड़ा एवं पक्का निर्माण कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने बाबत टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार खिवाड़ा के समक्ष पेश की, जिस पर उप तहसीलदार खिवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया तथा अपीलाण्ट को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया, जो अपीलाण्ट को तामील हुआ एवं अपीलाण्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.2020 को मातहत अदालत में उपस्थित हुआ, जिसकी ताईद मातहत आदलत की आदेशिका से होती है। इससे स्पष्ट है कि मातहत अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किए जाने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अक्सर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में जैर अपील आराजी से अपीलाण्ट द्वारा कब्जा हटा दिया गया है, जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न फर्द कब्जा सूपुदर्गी से होती है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है तथा मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। उप तहसीलदार खिवाड़ा के प्रकरण संख्या 27/2020 सरकार बनाम अशोक कुमार में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 को यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार खिवाड़ा को निर्णय की प्रति के साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली